रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 1972/ज्येष्ठ 31, 1894

No. 167] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 1972/JYAISTHA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप मे रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June 1972

G.S.R. 319(E)/Ess.Com/Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1A) of Clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1972, the Central Government hereby directs that the power to issue any direction under sub-clause (1) of the said Clause 2 shall be exercisable also by the Chief Director, the Additional Chief Director, a Director or a Deputy Director in the Directorate of Sugar and Vanaspati, Ministry of Agriculture, Department of Food.

[No. 1-16/72-SPY.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जून, 1972

सा०का०नि० 319 (**अ**).—अधिप्रदीत शर्करा प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1972 के खंड 2 के उपखंड (1–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त खंड 2 के उपखंड (1–क) के अधीन कोई निदेश देने की शक्ति, शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग में मुख्य निदेशक, अपर मुख्य निदेशक, निदेशक या उप-निदेशक द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी ।

[सं० 1/16/72–एस० पी० वाई०]

एस० पी० सन्नत, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972